



18/10.2024:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपरिथत। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र मे कोई कार्यवाही नही कि जा रही है। वादी अधिवक्ता को पूर्व मे कई बार नोट करवाया गया है। पूर्व पेशी दिनांक 30.03.2022 को कोष्ट पर अवसर एव दिनांक 09.01.2023 को न्यायारित मे अवसर दिया गया था। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपरिस्थ नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपरिस्थ नही आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम  जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।


मुसलमान कलेक्टर
मुसलमान कलेक्टर
मुसलमान कलेक्टर